न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 103/2024

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. लक्ष्मी देवी पत्नी जोराराम 2. दरियाव पत्नी बागाराम (जाति मेघवाल, निवासी ग्राम सोलंकिया तला, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर) 3. कमला देवी पत्नी दीपाराम 4. नाजू देवी पत्नी दमाराम (जाति मेघवाल, निवासी खिरजाभोजा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर)		1. मांगीलाल पुत्र तिलाराम 2. डूंगरराम पुत्र तिलाराम 3. शिवाराम पुत्र तिलाराम 4. रामुराम पुत्र मांगीलाल 5. रावलराम पुत्र तिलाराम (जाति मेघवाल, निवासी ग्राम सियांदा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर) 6. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ़ (जोधपुर) 7. भू–अभिलेख निरीक्षक, शेरगढ/खिरजावास, तह0 शेरगढ (जोधपुर)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी शेरगढ (जोधपुर) राजस्व प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर 08/2024 दिनांक 22.04.2024

उपस्थित–
1. श्री नाहरसिंह सोलंकी, वकील अपीलांट्स
2. श्री जगदीश प्रजापत, वकील रेस्पो0सं0 1 से 4
3. श्री भंवरलाल चौधरी, वकील रेस्पो0सं0 5
4. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 6, 7 की ओर से

निर्णय

दिनांक 23 .12.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट ने लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी शेरगढ (जोधपुर) द्वारा अंतर्गत धारा 131, 136 आरएलआर, एक्ट के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर 08/2024 में पारित आदेश दिनांक 22.04.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 से 4–प्रार्थी ने वास्ते नक्शा शुद्धि व रेकर्ड में संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्राथी सं0 5–रावलराम की पुश्तैनी सामलाली भूमि तहसील शेरगढ के ग्राम सियांदा, वर्तमान ग्राम शिवपुरा में जमाबंदी संवत् 2062–65 के अनुसार खसरा नम्बर 224 व 225 कुल रकबा 129.02 बीघा आयी हुई है। उक्त

सागलाती कृषि भूमि का प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 5 ने राजीखुशी से पारिवारिक रागझोता कर अपने कब्जे व काश्त अनुसार बंटवाडा तहसीलदार शेरगढ के समक्ष दिनांक 02.02.08 को प्रस्तुत किया, जिसे स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखानुसार विभाजन हुआ। बंटवाडे के साथ ख0नं0 224, 225, 225/3, 225/4, 225/5, 225/6, 225/7, 225/8 व 225/9 का नजरी नक्शा बनाया गया। जिसे तहसीलदार शेरगढ द्वारा तस्दीक किया गया तथा जरिये ना0क0सं0 639 राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर, नक्शें में संलग्न नजरिये नक्शे अनुसार तरमीम की गई, जिसके अनुसार प्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त है।

उक्त बंटवाडे के 13 वर्ष पश्चात अप्रार्थी सं0 5 ने दिनांक 02.09.21 को अपने हक हिस्से के ख0नं0 225 में से 10 बीघा भूमि का बेचान अप्रार्थी सं0 1 से 4 को किया गया। उक्त बेचान के बाद अप्रार्थी सं0 1 से 5 ने ख0नं0 225 में से बेचान की तरमीम कर ख0नं0 225/10, 225/11, 225/12, 225/13 का बंटवाडा कर, दिनांक 22.10.21 को तहसीलदार से तस्दीक करवा कर, जरिये ना0क0सं0 172 रेकर्ड में नजरी नक्शा अनुसार दर्ज किया गया तथा बंटवाडे अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। लेकिन ऑनलाईन नक्शा तरमीम करते समय उक्त खसरान की तरमीम प्रार्थीगण के खसरान पर कर दी गई तथा प्रार्थीगण की तरमीम को उलट–पूलट कर दिया गया, जिसे बंटवाडे के संलग्न नजरिये नक्शें अनुसार दुरूस्त करवाने का आग्रह किया गया। इसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार कर अप्रार्थी सं0 6–तहसीलदार शेरगढ का जवाब व मौका रिपोर्ट के तथ्यों अनुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम शुद्धि कर राजस्व रेकर्ड नक्शा में ऑनलाईन दर्शाया जाने का आदेश पारित किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट–अप्रार्थी सं0 1 से 4 ने राज. भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान्न सुनवाई अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा मूल खातेदार रावलराम से ग्राम शिवपुरा के ख0नं0 225 में से 10 बीघा भूमि जरिये पंजीबद्ध बेचान दिनांक 02.09.21 को खरीद की गई है। जिसमें अपीलांट सं0 1 से 4 क्रमशः लक्ष्मीदेवी ने 03 बीघा, दरियाव ने 02 बीघा, कमला देवी ने 2.10 बीघा व नाजू देवी ने 2.10 बीघा, कुल भूमि 10 बीघा खरीद की

गई। जिसका बंटवाडा कर दिनांक 22.10.21 को तहसीलदार शेरगढ से तस्दीक करवाकर, इसकी पालना में ना0क0 स्वीकृत किया गया, तरमीम अनुसार अपीलांट्स मौके पर काबिज काश्त है व उक्त की भूमि अपीलांट की खरीदसुदा है। शेष ख0नं0 224 व 225 के अन्य खसरों से अपीलांट को कोई लेना–देना नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड का सही परीक्षण किए बिना अपीलांट के खसरों सहित इन खसरों का संपूर्ण राजस्व रेकर्ड एवं ऑन लाईन तरमीम को निरस्त कर दिया गया, आदेष में इसका कोई न्यायोचित कारण नही बताया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ, उसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर अपीलांट की खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से बंटवाडा किया जा चुका था, जिसमें सभी सह–खातेदारान की सहमति से कार्यवाही सम्पन्न हुई। अब बिना किसी आधार के नक्शा शुद्धि व राजस्व रेकर्ड में इस प्रार्थना पत्र के आधार पर रेस्पो0 से मिलीभगत करते हुए गलत तरीकों से अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया गया। जिससे मौके एवं नक्शें की पूरी स्थिति बदल गई है। आलौच्य प्रकरण में न तो मौका निरीक्षण किया गया और न ही मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई और न ही राजस्व रेकर्ड का परीक्षण किया गया। अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नही दिया गया तथा एकतरफा कार्यवाही कर आदेश पारित कर दिया गया।

अपीलांट द्वारा रेस्पो0–अप्रार्थी सं0 5–रावलराम से अपनी खरीदसुदा 10 बीघा भूमि का बंटवाडा किया जाकर, तरमीम की जा चुकी है तथा उसी अनुसार मौके पर काबिज है। अब मात्र सड़क के पास अपीलांट के आने वाले हिस्से को हड़पने के लिए झूठे कथनों का सहारा लेकर सम्पूर्ण स्थिति को बदलना चाहते है, जिन्हें ऐसा करने का कानूनी हक/अधिकार नही है। अपीलांट की ओर से शुद्धिकरण का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही हुआ, तो दुसरे खातेदारों को जो इन खसरान के खातेदार नही है, उन्हें इस प्रकार की खुली छूट नही दी जा सकती है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त करने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 से 5 के योग्य अधिवक्ताओं ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि प्रार्थीगण एवं अप्राथी सं0 5–रावलराम की पुश्तैनी सामलाली कृषि भूमि तहसील शेरगढ के ग्राम सियांदा, वर्तमान ग्राम शिवपुरा के खसरा नम्बर 224 व

225 कुल रकबा 129.02 बीघा का प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 5 ने राजीखुशी से पारिवारिक समझोता कर अपने कब्जे व काश्त अनुसार बंटवाडा तहसीलदार शेरगढ के समक्ष दिनांक 02.02.08 को प्रस्तुत किया, जिसे स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखानुसार विभाजन हुआ। बंटवाडे के साथ ख0नं0 224, 225, 225/3, 225/4, 225/5, 225/6, 225/7, 225/8 व 225/9 का नजरी नक्शा बनाया गया। जिसे तहसीलदार शेरगढ द्वारा तस्दीक किया गया तथा जरिये ना0क0 संख्या 639 दिनांक 17.3.08 द्वारा राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर नक्शें में संलग्न नजरिये नक्शे अनुसार तरमीम की गई। जिसके अनुसार प्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त है, उक्त ना0क0 की पुश्त पर पर नजरी नक्शा अंकित है।

उक्त बंटवाडे के 13 वर्ष पश्चात अप्रार्थी सं0 5—रावलराम पुत्र तिलाराम ने दिनांक 02.09.21 को अपने हक/हिस्से के ख0नं0 225 में से 10 बीघा भूमि का संयुक्त बेचान अप्रार्थी सं0 1 से 4 को किया गया। बेचान दस्तावेज में पडौस का विवरण अंकित है। बेचान के बाद अप्रार्थी सं0 1 से 5 ने ख0नं0 225 में से बेचान की तरमीम कर ख0नं0 225/10, 225/11, 225/12, 225/13 का बंटवाडा कर, दिनांक 22.10.21 को तहसीलदार से तस्दीक करवा कर, इसकी पालना में जरिये ना0क0 संख्या 172 दिनांक 19.11.21 स्वीकृत किया गया तथा जिसकी पुश्त पर अंकित नजरी नक्शा अनुसार रेकर्ड में दर्ज किया गया व बंटवाडे अनुसार सभी मौके पर काबिज काश्त है। लेकिन ऑनलाईन नक्शा तरमीम करते समय उक्त खसरान की तरमीम रेस्पो0—प्रार्थीगण के खसरान पर कर दी गई तथा प्रार्थीगण की तरमीम को उलट—पूलट कर दिया गया। जिसे बंटवाडे के संलग्न नजरिये नक्शें अनुसार दुरूस्त करवाने का आग्रह किया गया। जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार कर अप्रार्थी सं0 6—तहसीलदार शेरगढ का जवाब व मौका रिपोर्ट के तथ्यों अनुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम शुद्धि कर राजस्व रेकर्ड नक्शा में ऑनलाईन दर्शाया जाने का आदेश पारित किया गया। अपीलांट ख0नं0 224 व 225 में हुए पहले बंटवारे से बाहर नही जा सकते है और बंटवाडा आदेश को चुन्नौति नही दी गई है। अतः अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0 सं0 6, 7 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि आलौच्य प्रकरण में अप्रार्थी—तहसीलदार शेरगढ के

पत्रांक 898 दिनांक 5.4.24 द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। जिसके संलग्न तत्कालीन ग्राम सिंयादा ख0नं0 224 व 225 का बंटवाडा ना0क0सं0 639 एवं इसके उपरांत रावलराम द्वारा अपने हिस्से में से 10 बीघा भूमि का बेचान ना0क0सं0 166 व बेचान की गई भूमि का बंटवाडा ना0क0सं0 172 की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गई। बंटवाडे के नामान्तरकरणों की पुश्त पर अंकित नजरी नक्शों में भिन्नता है तथा रिपोर्ट में मौका स्थिति नही दर्शायी गई है। अतः प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उसके संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में अप्रार्थी सं0 6–तहसीलदार शेरगढ का जवाब एवं मौका रिपोर्ट के आधार पर पारित करने का उल्लेख है, जबकि उक्त रिपोर्ट में वादग्रस्त खसरान की मौका स्थिति का विवरण अंकित नही है। इस स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ (जोधपुर) द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर 08/2024 बअनवान मांगीलाल व अन्य बनाम लक्ष्मीदेवी वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.04.2024 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वादग्रस्त खसरान की तरमीम शुद्धि हेतु दोनो पक्षों की उपस्थिति में तहसीलदार शेरगढ के मौका जांच रिपोर्ट ली जाकर, संपूर्ण तथ्यों की जांच उपरांत विधिसम्मत निर्णय पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 23-12-25. को खुले न्यायालय सुनाया गया।

23.12.25

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
जोधपुर